(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRA ORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI SERVICES DEPARTMENT

Notification

Date: 11/12/2017

No.F.20/13/2017/S-I/Lit/3.19.6...3.75. In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Advocates as Panel Counsel for the High Court of Delhi at New Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it initially for a period of one year from the date of this notification.

- 1. Ms. Mini Pushkarna
- 2. Mrs. Vibha Mahajan Seth
- 3. Sh. Subrahmanyam BKV
- 4. Smt. Rashmi Chopra
- 5. Sh. Gaurav Dhingra
- 6. Sh. Naushad Ahmed Khan
- 7. Sh. V. Balaji
- 8. Ms. Ruchira Gupta
- 9. Ms. Latika Choudhury
- 10. Smt. Rachana Srivastava
- 11. Sh. Sujeet Kumar Mishra

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No.F.5(2)/07/Lit./303-310 dated 18th March 2008 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

By order and in the name of

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

(D. Karthikeyan)

Deputy Secretary (Services)
Date: 11/12/2017

No.F.20/13/2017/S-I/Lit/3746-3754

- 1. The Pr. Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 2. The Special Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 3. The Staff Officer to the Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
- 4. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Controller of Accounts, Govt. of NCT of Delhi.
- 6. The Registrar General, High Court, New Delhi.
- 7. The Addl. Secretary (GAD/Co-ordination), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi with the request to publish and forward 10 copies of the Gazette Notification to this Department.
- 8. Smt. Avnish Ahlawat, Standing Counsel.
- 9. All Panel Advocates.
- 10. Guard File.

(D. Karthikeyan)

Deputy Secretary (Services)

(दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सेवाएं विभाग

अधिसूचना

दिनांक: 11/12/2017

सं0फा0 20/13/2017/एस—1/एलआईटी/3746-3754 इस संबंध में जारी पूववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरूद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये निम्नलिखित अधिवक्ताओं को पैनल काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं, जिनका प्रतिवाद प्रारंभ में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये किया गया है।

- 1. सुश्री मिनी पुष्करणा
- 2. श्रीमती विभा महाजन सेठ
- 3. श्री सुब्रमनियम बीकेवी
- 4. श्रीमती रश्मी चोपड़ा
- श्री गौरव ढ़ींगरा
- 6. श्री नौशाद अहमद खान
- 7. श्री वी. बालाजी
- 8. सुश्री रुचिरा गुप्ता
- 9. सुश्री लतिका चौधरी
- 10. श्रीमती रचना श्रीवास्तव
- 11. श्री सुजीत कुमार मिश्र

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय—समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 18 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं0 फा0 5(2)/07/वि0/303—310 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

> > दिनांक:

ा [۱२] (३) (डी० कार्तिकेयन) उप—सचिव (सेवाएँ)

11/12/17

सं0फा0 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/3746-3754

1. उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

2. मुख्यमंत्री के विशेष सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।समस्त प्रधान सचिवों / सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

लेखा नियंत्रक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

महापंजीयक, माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली।

- 7. अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग / समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ। कृपया कार्यालय प्रयोग के लिए राजपत्र की 10 प्रतियां इस विभाग में भिजवाएं।
- 8. श्रीमती अवनीश अहलावत, स्थायी काउंसिल।
- 9. समस्त पैनल अधिवक्ता।
- 10. गार्ड फाईल।

(डीo कार्तिकेयन) उप—सचिव (सेवाएँ)